न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 337/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. पुरखाराम पुत्र हरजीराम, 2. चन्द्रा देवी पत्नि पुरखाराम, जाति गुर्जर, निवासी सिंगपुरा, तह0 सोजत।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.09.2020

प्रार्थी मय अधिवक्तागण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सिंगपुरा पटवार हल्का करमावास भू0अ0नि0 गुडाबींजा तह0 सोजत जिला पाली वर्तमान खाता संख्या 161 खसरा नम्बर 566/2 रकबा 6.9300 हैक्टर बा0दो0 की भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग हेतु आने जाने का एकमात्र रास्ता सरकारी खसरा संख्या 442 में सिंगपुरा से देवडूंगरी गुडाबींजा मुख्य सडक से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता है जिसका कदीम से प्रार्थीगण द्वारा उपयोग, उपभोग किया जाता रहा है। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया है। प्रार्थी की कृषि जोत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण उक्त नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते से अपनी कृषि भूमि में आते जाते है एवं रास्ते का कदीम से उपयोग करते आ रहे है। खसरा नम्बर 442 सरकारी भूमि है और खाली पड़ी है जिस पर गांव के लोगो द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जा रहे है और प्रार्थीगण के रास्ते को बाधित किया जा रहा है तथा अप्रार्थी नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते से जाने से प्रार्थीगण को अवरोधित कर रहे है तथा प्रार्थी को कृषि जोत पर कृषि करना बाधित हो रहा है जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा व हानि का सामना करना पड़ रहा हैं। अप्रार्थी से इस मार्ग को खुला रखे जाने बाबत् बार बार आपसी सहमति का प्रयास किया गया, परन्तु अप्रार्थी सहमत नही हुए। प्रार्थीगण के उक्त स्वयं की जोत में जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त मार्ग की मांग कर रहा है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने हेतु अत्यंत ही आवश्यकता है, केवल अपनी सुविधाजनक उपभोग के लिए रास्ते की मांग नही कर रहा है। कृषि जोत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त कदीमी रास्ता जो सिंगपुरा से देवडूंगरी बींजागुडा मार्ग मुख्य सड़क सरकारी खसरा नम्बर 442 तह0 सोजत में विद्यमान हेतु सुचारू कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए से बी रास्ते को राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 442 रकबा 3.4500 की कृषि भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी दर्शित है जिसकी चौड़ाई करीब 20 फीट है इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ– पत्र एवं 251 ए राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत पेश कर उक्तानुसार रास्ता राजस्व अभिलेखों मे इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। तहसीलदार सोजत को न्यायालय हाजा पत्रांक कोर्ट/2020/118–119 दिनांक 18.03.2020 द्वारा वांछित प्रावधानानुरूप तीनो बिन्दुओ : प्रार्थित रास्ते की भूमि वर्तमान मौका स्थितिकी जॉच मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा वर्तमान डीएलसी दर की सूचना चाही गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/ राजस्व/ 2019/ 3187 दिनांक 30.10.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जो अपूर्ण होने से स्पष्ट रिपोर्ट पुनः चाही गई। तहसीलदार सोजत पत्रांक /राजस्व/2020/311 दिनांक 06.07.2020 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिंगपुरा के ख0न0 566/2 रकबा 6.9300 हैक्टर में पुरखाराम पुत्र हरजीराम, चन्द्रा देवी पत्नि पुरखाराम जाति गुर्जर खातेदार दर्ज है। खातेदारो द्वारा अपनी खातेदारी में जाने हेतु खसरा संख्या 442मे से रास्ता चाहा गया है भू. अभिलेख निरीक्षक गुडाबींजा द्वारा राजस्व रेकर्ड व माफिक मौका जांच करवाई गई मौके की भौतिक रिपोर्ट एव नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 442 में मार्क ए से बी जो कि **20 मीटर x 4 मीटर = 80 वर्ग मीटर** अर्थात 0.0080 हैक्टर रास्ता खसरा नम्बर 566/2 तक पहुच के लिए एक मात्र निकटतम वैकल्पिक रास्ता स्थित है जहा फाटक लगी है उक्त खसरा नम्बर 566/2 मे आवागमन के लिए विकल्प में कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में उक्त नजरी नक्शा में मार्क ए सी बी रास्ता दिये जाने की अनुशंपा की जाती है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 122958 रूपये प्रति हैक्टर है। जो दिये जाने से तहसीलदार लैण्ड होल्डर ने कोई आपति होना व्यक्त नही किया है अर्थात अभिशंपा अंकित की गई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रा0 पत्र के अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 442 रकबा 3.4500 की कृषि भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी दर्शित है जिसकी चौडाई करीब 20 फीट है रास्ता की भूमि दिये जाने तथा राजस्व अभिलेखों मे इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने नियमान्तर्गत प्रार्थी को उसकी भूमि मे जाने हेतु रास्ता दिये जाने में कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात तथा मौका रिपोर्ट, पत्रांक/राजस्व/2020/311 दिनांक 06.07.2020 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहूँच प्रस्तावित मार्ग ही एक विकल्प होना तहसीलदार सोजत की रिर्पोट अनुसार परिलक्षित होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना खसरा नम्बर 566/2 रकबा 6.9300 है0 मे आने जाने के रास्ते मे उपयोग उपभोग में जाने योग्य भूमि मौजा सिंगपुरा पटवार हल्का करमावास तह0 सोजत के खसरा नम्बर 442 रकबा 3.4500 है0 मे से **20 मीटर x 4 मीटर = 80 वर्ग मीटर भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 122958 प्रति हैक्टर से अर्थात 20 मीटर x 4 मीटर = 0.0080 हैक्टर x 122958 x 2 गुणा = 1938 रूपये** राज्य मद मे जमा करवाया जाकर रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जालोर-पाली) राज

Scanned with CamScanner

–::आदेश :::–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सिंगपुरा पटवार हल्का करमावास भू0अ0नि0 गुडाबींजा तह0 सोजत जिला पाली वर्तमान खाता संख्या 161 खसरा नम्बर 566/2 रकबा 6.9300 हैक्टर बा0दो0 उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग हेतु आने जाने अर्थात आवागमन हेतु हेतु ख0न0 442 रकबा 3.4500 भूमि मे से **20 मीटर X 4 मीटर = 80 वर्ग मीटर** रास्ता के रूप में दिये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। उक्त भूमि की वर्तमान डीएल सी 122958 प्रति हैक्टर से **20 मीटर X 4 मीटर = 80 वर्ग मीटर अर्थात (0.0080 हैक्टर X** 122958 **=** 983.664 का दो गुणा से राशि 1968/– अक्षरे एक हजार नो सो अडसठ रूपये मात्र) राज्य कोष में जमा करवाये जाने पर रास्ते के रूप में उक्त भूमि को दर्ज किये जोने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ भिजवाई जाकर पालना सुनिश्चित करने लिखा जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner